भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2277

(दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) हेतु कार्यनीति

2277. डॉ. डी. रवि कुमार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विकास के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो मानवाधिकारों और गोपनीयता को प्राथमिकता देते हुए जवाबदेही, सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं;

(ख) सरकार, यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित एआई सुरक्षा संस्थान, लोगों के डेटा और गोपनीयता को सुरक्षित बनाते हुए मुक्तता, नवाचार और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाए;

(ग) डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा विनियामक को सुदृढ़ करने और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें व्यक्तिगत डेटा पर एआई की निर्भरता के दृष्टिगत नागरिकों को एआई मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए उनके डेटा का उपयोग न करने का विकल्प देने का अधिकार प्रदान करना शामिल है; और

(घ) सरकार विशेष रूप से 'पुलिसिंग', अनिवार्य सेवाओं तक पहुंच और चुनाव जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में स्वतः निर्णय लेने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से जुड़ी चिंताओं का किस प्रकार समाधान करेगी जिसमें यह भी सुनिश्चित हो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी विनियमन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा नवाचार को निरुद्ध न करे?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सूचित किया है कि सरकार मानवाधिकारों और निजता को बनाए रखते हुए जवाबदेही, सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यनीति में मजबूत विनियामक ढांचे, पारदर्शी एआई गवर्नेंस और पूर्वाग्रह, भेदभाव और दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र शामिल हैं। सरकार ने जून 2018 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यनीति (एनएसएआई) प्रकाशित की है। एनएसएआई में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों में नागरिकों को पेश आने वाली सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए एआई की क्षमता पर बल दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने सामाजिक प्रभाव के लिए समावेशन, नवाचार और अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और इसके साथ-साथ भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी बनाने और सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार और परिवर्तनकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में इंडिया एआई मिशन का अनुमोदन दिया। मिशन के तहत 'सेफ एंड ट्रस्टेड एआई' पिलर जिम्मेदार एआई विकास, परिनियोजन और अंगीकरण की आवश्यकता पर बल देता है और 'रिस्पांसिबल एआई प्रोजेक्ट' के कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है जिसमें स्वदेशी उपकरणों और फ्रेमवर्क्स का विकास, नवप्रवर्तकों के लिए स्व-मूल्यांकन चेकलिस्ट और अन्य दिशानिर्देश व गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स शामिल हैं।

दिनांक 11 अगस्त, 2023 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 अधिनियमित किया गया है, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डेटा फिड्युशरीज़ पर दायित्व निर्धारित करता है, उन्हें जवाबदेह बनाता है और इसके साथ ही डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकारों और कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करता है।

*****